भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 5285

दिनांक 25 जुलाई , 2019 / 3 श्रावण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

बारिश के कारण विमानपत्तनों को बंद करना

5285. **श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान मौसम में भारी बारिश के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ विमानपत्तनों/रनवे को बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रद्द की गई/अन्यत्र भेजी गई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों तथा उड़ानों को रद्द करने और अन्यत्र भेजे जाने के कारण प्रत्येक विमान कंपनी को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उड़ानों को रद्द किए जाने के कारण अत्यधिक प्रभावित होने वाले यात्रियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या इन यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, ताकि वे अपने इच्छित गंतव्य की यात्रा कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा हवाई यातायात के सुचारू संचालन के लिए मौजूदा विमानपत्तनों के स्थान पर बारहमासी विमानपत्तनों का निर्माण/परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी नहीं। चालू सीजन में भारी वर्षा के कारण देश में किसी हवाईअड्डे/रनवे को बंद नहीं किया गया। तथापि, हवाईअड्डों पर उड़ान प्रचालन खराब मौसम/भारी बारिश की वजह से प्रभावित हो जाते हैं।

(ख) और (ग): इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट और एअर इंडिया ने सूचित किया है कि खराब मौसम/भारी बारिश की वजह से चालू सीजन के दौरान उनके द्वारा देश भर में 330 उड़ानें रद्द की गईं/मार्ग परिवर्तन किए गए। इसके अतिरिक्त, इंडिगो और गो एयर ने सूचित किया है कि उनकी उड़ानों के रद्द होने की वजह से 1,22,467 यात्री बुरी तरह प्रभावित हुए। चालू सीजन में एयरलाइनों को हुए घाटों के आंकड़े अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं और ऐसे घाटों की सूचना एयरलाइनों द्वारा सरकार को नहीं दी जाती।

(घ): संबंधित एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को उपलब्ध अगली उड़ानों में यात्रियों को समायोजित/मार्ग-परिवर्तित करके वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं और उन यात्रियों को रिफंड प्रदान किए गए जिन्होंने यह विकल्प चुना।

(ङ): एएआई अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) और डीजीसीए के संरक्षा विनियमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते भौगोलिक व्यवहार्यता के साथ साथ मांग और यातायात संभाव्यता के आधार पर सभी मौसमों में प्रचालनों के लिए अपने हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन करता है।

*****